

## कार्यालय उप श्रमायुक्त , बेगम ब्रिज रोड मेरठ ।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति : साइकिलो की आपूर्ति

निर्माण श्रमिकों को साइकिल सहायता योजना के अन्तर्गत साइकिल उपलब्ध कराने हेतु एवन/हरकुलिस/एटलस/ हीरो ब्राण्ड के डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर जो वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत हो , टिन/पैन नम्बर धारी हो , ब्राण्ड विशेष द्वारा डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अधिकृत किये गये हो तथा उनका न्यूनतम वार्षिक व्यवसाय रू० पाँच लाख से अधिक हो के द्वारा मेरठ में निर्धारित किये गये स्थल पर निर्धारित तिथियों पर स्वयं के खर्च पर साइकिल पहुचाने हेतु ब्राण्डवार साइकिलो के दिये विशिष्टताओं के अनुसार न्यूनतम विक्रय मूल्य समस्त करों सहित आमत्रित की जाती है। यह साइकिले रूपये तीन हजार या उससे कम/अधिक कीमत की हो सकती हैं जिसमें से श्रमिक रूपये तीन हजार से उपर की धनराशि का स्वयं भुगतान करेगा व रूपये तीन हजार या उससे कम की धनराशि का भुगतान भवन कल्याण बोर्ड साइकिल प्राप्त होने के पश्चात श्रमिक के माध्यम से करेगा । योजना से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश, शर्तें एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र मेरठ जनपद की वेबसाईट <http://meerut.nic.in> पर उपलब्ध हैं । इच्छुक आवेदनकर्ता जो शर्तों को पूर्ण करते हो, वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म व शर्तें डाउनलोड कर निर्धारित प्रपत्र पर अपना समस्त विवरण संलग्नकों सहित उपश्रमायुक्त , श्रम भवन , बेगम ब्रिज रोड मेरठ को दिनांक 05.12.2014 की साय: 5.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं । सफल आवेदनकर्ता को विभाग से अनुबन्ध करना होगा ।

पत्राचार का पता:- कार्यालय उपश्रमायुक्त , श्रम भवन , बेगम ब्रिज रोड मेरठ पिन-250001

उपश्रमायुक्त एवं  
उपकल्याण आयुक्त, मेरठ।

26/11/14